(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन बीजों एवं तकनीक को आम किसानों तक पहुंचाने के लिए कोई योजना/व्यवस्था बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान ने टिशु कल्चर तकनीक से सरसों की दो उत्तम प्रजातियों अर्थात् बायो-वाई०एस०आर० तथा बायो-902 का पता लगाया है। इन प्रजातियों की निष्पत्ति के लिए आंग और परीक्षण किए जा रहे हैं। दालों के मामले में नई तकनीकों के माध्यम से कोई नई प्रजाति विकसित नहीं की गई है।

(ग) और (घ) यदि सरसों की प्रजातियो की निष्पत्ति मूल्यांकन की विभिन्न अवस्थाओं में अच्छी रही और नियुक्ति तथा अधिसूचना के लिए उनका चयन कर लिया गया तो उनकी वाणिज्यिक खेती के लिए बीज बहुलीकरण किया जाएगा।

ग्रामीण मजदूरों की दैनिक मजदूरी

925. डा० जितेन्द्र कुमार जैन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में असंगठित ग्रामीण मजदूरों की संख्या 115 मिलियन से भी अधिक है;

(ख) क्या यह भी सच है कि असंगठित मजदूरों की दैनिक मजदूरी विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की जाती है जो भिन्न-भिन्न राज्यों में 8 रुपए 50 पैसे से लेकर 12 रुपए 75 पैसे प्रति दिन है;

(ग) किन-किन राज्यों में इन ग्रामीण मजदूरों की मासिक मजदूरी 600 रुपए या इससे कम है और क्या सरकार द्वारा इन असंगठित और शोषित मजदूरों के कल्याण के लिए कोई कार्य योजना बनाई जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० राममूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) कृषि मजदूरों को छोड़कर विभिन्न अनुसूचित नियोजनों के लिये राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित असंगठित श्रमिकों की दैनिक मजदूरी केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुरक्षित नहीं की जाती है।

(ग) और (घ) जैसा कि ऊपर के भाग (ख) में बताया गया है, केन्द्रीय सरकार द्वारा आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। केन्द्रीय सरकार ने मई 90 में राज्य सरकारों को लिखा था कि वे किसी भी अनुसूचित नियोजन में न्यूनतम मजदूरी की निम्न सीमा 15 रु० प्रतिदिन से कम निर्धारित न करें। राज्य सरकारों को यह सलाह भी दी गई थी कि वे दो वर्षों में एक बार या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 50 अंकों की बढ़ोतरी होने पर जो भी पहले हो, न्यूनतम मजदूरी की दरों को संशोधित करें।

खान-पान व्यवस्था के संचालन में रेलवे द्वारा उठाई गई हानि

926. सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे द्वारा संचालित खान पान व्यवस्था में प्रतिवर्ष भारी हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी आर्थिक हानि हुई है;

(ग) क्या सरकार ने स्थिति में सुधार लाने के लिए कोई उपाय किए हैं;

(घ) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या इस व्यवस्था के निजी क्षेत्र को सौंपे जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिससे कि रेलवे इस हानि को समाप्त करके लाभ अर्जित कर सके; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) विभागीय तौर पर संचालित कई खानपान यूनिटें भारी नुकसान पर चल रही हैं।

पिछले तीन वर्षों अर्थात, 1987–88, 1988–89 तथा 1989–90 के दौरान भारतीय रेलों पर विभागीय खानपान यूनिटों की समग्र हानि क्रमशः 27.9 लाख रुपये, 71.5 लाख रुपये तथा 25.5 लाख रुपये थी।

(ग) और (घ) खर्च पर कड़ी निगरानी रखने, बिक्री अभियान चलाने, कर्मचारी को पुनः काम पर लगाने आदि जैसे कई उपाय किये गए हैं। कई विभागीय यूनिटों को लगातार नुकसान हो रहा है।

(ङ) और (च) सभी विभागीय खानपान यूनिटों को प्राइवेट क्षेत्र को सौंपने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु कुछ ऐसी विभागीय खानपान यूनिटों का गैर विभागीकरण करने का प्रस्ताव है जो नुकसान पर चल रही हैं।

देश में इस्पात की आवश्यकता

927. श्री रणजीत सिंह :

डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस्पात की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने हेतु इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार जो कदम उठाने का विचार रखती है, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो 1995 के अन्त में देश में इस्पात की मांग कितनी होगी;

(ग) क्या सरकार इस मांग को पूरा करने के लिए देश में इस्पात के उत्पादन की व्यवस्था कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क), (ग) और (घ) देश में इस्पात की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न उपायों द्वारा समय-समय पर इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:—

—वर्धित उत्पादन हासिल करने के लिए इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण और संयंत्र और उपस्करों का उन्नत अनुरक्षण।

—इस्पात संयंत्रों को आदानों विशेष रूप से कोयले और बिजली की सप्लाई का प्रबोधन, ताकि बिना व्यवधान के उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके।

—विद्युत चाप भट्टी इकाइयों को अपनी क्षमता वार्षिक 2.5 लाख टन तक बढ़ाने की अनुमति।

—निजी क्षेत्र में भारी क्षमता वाले नए इस्पात संयंत्रों की स्थापना की अनुमति देना।

—विशेष रूप से विशिष्ट श्रेणियों की शेष मांग को आयात से पूरा किया जाएगा।

(ख) लोहा और इस्पात उद्योग से संबंधित कार्यकारी दल द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार आठवीं योजना के अन्त में तैयार इस्पात की मांग 220 लाख टन होगी।

दिल्ली में फ्लाई ओवरों का निर्माण

928. **श्री लक्ष्मण कुमार बिरला :**
श्री गुफरान आलम :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "अर्बन आर्टस् कमीशन" ने राजधानी में फ्लाई ओवरों के निर्माण